बरेली पुलिस

थाना प्रेमनगर

प्रेस नोट

दिनांक 29.06.2025

थाना प्रेमनगर, बरेली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 320 ग्राम चरस नाजायज(कीमत लगभग 02 लाख रूपये), 4500/- रूपये नगद, एक मोबाइल एवं एक स्कूटी सहित किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

आज दिनांक 29.06.2025 को थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए **अरमान** उर रहमान उम्र 32 वर्ष पुत्र अतीक उर रहमान नि0 हार्टमैन रामलीला ग्राउण्ड छावनी थाना प्रेमनगर बरेली को कुदेशिया पुल के नीचे से 320 ग्राम चरस नाजायज, 4500/- रूपये नगद, एक मोबाइल एवं एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके आधार पर थाना प्रेमनगर पर मु0अ0सं0 244/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना के सम्बन्ध में तथ्यों का सारगर्भित विवरण:

दिनांक 29.6.2025 को उ0नि0 मो0 सरताज मय हमराही गण द्वारा चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मुखबिर की सूचना पर कुदेशिया पुल के नीचे दो व्यक्ति जिनका नाम 1- अरमान उर रहमान पुत्र अतीक उर रहमान नि0 हार्टमैन रामलीला ग्राउण्ड छावनी थाना प्रेमनगर बरेली व 2- तालिब मतलूब निवासी बड़ी मस्जिद के पास अशरफ खां छावनी स्कूटी के पास खड़े होकर नाजायज चरस बेच रहे थे। पुलिस की दबिश के दौरान तालिब मतलूब निवासी बड़ी मस्जिद के पास अशरफ खां छावनी पीछे की तरफ खडा था जो मौके से भागने में सफल रहा। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अरमान उर रहमान पुत्र अतीक उर रहमान नि0 हार्टमैन रामलीला ग्राउण्ड छावनी थाना प्रेमनगर बरेली उम्र 32 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्ति से **320 ग्राम चरस नाजायज, 4500/- रूपये नगद, एक मोबाइल एवं एक स्कूटी** बरामद हुई। अरमान उर रहमान व तालिब हिमाचल से चरस खरीद कर लाते हैं। पकड़ी गयी चरस भी हिमाचल प्रदेश से खरीद कर लाये थे, जिसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। उक्त के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मु0अ0सं0 244/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अभियुक्त **1-** तालिब मतलूब निवासी बड़ी मस्जिद के पास अशरफ खां छावनी व **2-** अरमान उर रहमान पुत्र अतीक उर रहमान नि0 हार्टमैन रामलीला ग्राउण्ड छावनी थाना प्रेमनगर बरेली पंजीकृत किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही:

आज दिनांक 29.06.2025 को उपनिरीक्षक मो0 सरताज मय हमराह उ0नि0 श्री आशीष कुमार, कां0 3720 अनुराग व कां0 243 अनित, कां0 188 अमरीश, कां0 1845 ओमकार को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि कुदेशिया पुल के नीचे दो व्यक्ति स्कूटी पर नाजायज चरस बेचने के लिए खड़े हैं, प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अरमान उर रहमान उम्र 32 वर्ष पुत्र अतीक उर रहमान नि0 हार्टमैन रामलीला ग्राउण्ड छावनी थाना प्रेमनगर बरेली को **320 ग्राम चरस नाजायज, 4500/- रूपये नगद, एक मोबाइल एवं एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया।** अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 244/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना प्रेमनगर बरेली।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 244/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना प्रेमनगर बरेली।
2. मु0अ0सं0 112/19 धारा 8/15(सी) एनडीपीएस एक्ट थाना बिथरी चैनपुर बरेली।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त अरमान उर रहमान का जन्म वर्ष 1993 मे यू0पी0 के बरेली में उसके पैतृक मौहल्ला शास्त्रीनगर थाना प्रेमनगर बरेली में हुआ था। अरमान उर रहमान के पिता अतीक उर रहमान वर्तमान मे ईंट के भट्टे का बिजनेस करते हैं तथा माता सिम्मी खान घर का कार्य करती हैं। अरमान उर रहमान के घर में इसके अलावा 01 भाई और तथा 2 बहनें है। एक भाई पापा के साथ बिजनेस में मदद करता है। अभियुक्त अरमान उर रहमान ने कक्षा 01 से 11 तक की पढ़ाई बिशप कोनराड स्कूल कैंट से की तथा कक्षा 12 की पढाई एनआईओएस (प्राईवेट संस्थान दिल्ली) से की है। वर्तमान में अभियुक्त अरमान उर रहमान द्वारा पूछताछ में हिमाचल प्रदेश से नाजायज चरस खरीद कर जगह जगह बेचना बताया गया है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे ऊपर एक अभियोग हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत है जिसकी तारीखें लगती हैं। मैं जब तारीखें लेने जाता हूं तो उधर से अपने साथी के साथ चरस खरीद कर लाता हूं जिसे बेचकर मैं मुनाफा कमाता हूं।